प्रसार भारती
भारतीय प्रसारण निगम
आकाशवाणी केन्द्र शिमला
02.04.2026 / प्रादेशिक समाचार / 18:00बजे

प्रश्नकाल

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ने कांगड़ा को पर्यटन राजधानी का दर्जा दिया है और गग्गल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य इस वर्ष के अंत तक पूरा किया जाएगा। शिमला में आयोजित प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक पवन काजल के मूल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सुधीर शर्मा, केवल सिंह पठानिया, विपिन सिंह परमार के अनुपूरक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को अभी तक एक हजार 9 सौ 60 करोड़ रुपए की राशि मुआवजे के तौर पर दी गई है। जबकि एक हजार 5 सौ करोड़ रुपए की मुआवजा राशि देना बाकी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 3 हजार 5 सौ करोड़ का मुआवजा भूमि अधिग्रहण के लिए दिया जाएगा। सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने नियमों के तहत भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू किया है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र से राजस्व घाटा अनुदान मिलता तो राज्य सरकार बल्ह का एयरपोर्ट बनाने को तैयार थी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इसको लेकर वे दिल्ली में दो बार केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के अलावा प्रधानमंत्री से भी मिले हैं।

विधेयक

प्रदेश में दल बदल कानून के तहत अयोग्य करार दिए गए दो विधायक पेंशन से पूरी तरह वंचित कर दिए गए हैं। इनमें गगरेट से चैतन्य शर्मा और कुटलैहड़ से देवेंद्र भुट्टो शामिल है। इसके अलावा रवि ठाकुर और राजेंद्र राणा को भी 14वीं विधानसभा की पेंशन नहीं मिलेगी। इस संबंध में विधानसभा में आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्यों के भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2026 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। यह विधेयक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीते रोज विधानसभा में विचार के लिए प्रस्तुत किया था, जिस पर विपक्षी दल भाजपा ने आज विरोध जताया और इसे राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से लाया गया विधेयक करार दिया और इसे वापस लेने की मांग की। हालांकि सरकार ने विपक्ष की सभी दलीलों को खारिज करते हुए विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस विधेयक के पारित होने पर प्रदेश की 14वीं विधानसभा या इसके बाद सदन में चुन कर आने वाले विधायक संशोधित कानून के दायरे में आएंगे। भाजपा के रणधीर शर्मा ने विधेयक पर हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि यह विधेयक राजनीतिक बदले की भावना से लाया गया है लेकिन यह विधेयक कोर्ट में कहीं भी नहीं टिकेगा क्योंकि कोई भी विधेयक भविष्य के लिए होता है।

जबकि इस विधेयक को पिछली तारीख से लागू करने की बात कही गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि दल बदल विरोधी कानून को मजबूत करना सही है, मगर इस काम के लिए पिछली तारीख में विधेयक नहीं लाया जा सकता। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा कोई कानून कोर्ट में जाता है तो वह कहीं भी नहीं टिकेगा और यह सदन का भी अपमान होगा।

सत्र समाप्त

प्रदेश की 14वीं विधानसभा का बजट सत्र आज अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हो गया। सत्र के समापन के बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि बजट सत्र दो चरणों में आयेाजित किया गया जिसमें पहले चरण में 3 जबकि दूसरे चरण में 13 बैठकों का आयोजन किया किया। उन्होंने बताया कि बजट सत्र में सदन की कुल 16 बैठकें हुई, जिसकी कार्यवाही लगभग 90 घंटें तक चली। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र की उत्पादकता एक सौ 3 प्रतिशत रही।

एंट्री टैक्स

एंट्री टैक्स को लेकर पंजाब की कुछ सीमाओं में अभी भी विरोध प्रदर्शन जारी हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट सत्र के अंतिम दिन आज विधानसभा में इस मामले पर कहा कि वाहनों के रेट कम रखे गए हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए पास व्यवस्था शुरू की जा रही है जिससे स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल के हल्के वाहनों को सरकार ने टोल में छूट

दी है, इसके अलावा अन्य श्रेणियों में दरें पिछले वर्ष की तरह ही रखने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती इलाकों में चल रहे आंदोलनों पर कहा कि कुछ गतिविधियां गलत हैं, लेकिन सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करने का निर्णय लिया है।